न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कीटनोद
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 369 / 16

बनाम

1. मेहराराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी भोजासर हाल खार की ढाणी तह0 पचपदरा	1. जयपाल पुत्र गोरधनराम 2. प्रेमाराम पुत्र गोरधनराम 3. हरकूदेवी पत्नि गोरधनराम 4. जसवंत पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी भोजासर हाल खार की ढाणी तह0 पचपदरा विप्रार्थी सं. 2 प्रेमाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हरकूदेवी पत्नि गोरधनराम विप्रार्थी सं.3 5. ग्राम पंचायत गोल स्टेशन जरिये सरपंच 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 11.05.2018

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के विरुध्द दावा बाबत् बंटवाडा व स्थई निषेद्याज्ञा का पेश कर दिया हैं। जिसमे प्रार्थी को सफल होने की पुरी पुरी आशा है। प्रार्थी के हक मे एक मजबूत प्रथम दृष्टया कैसे काबिज डिकी के है।

प्रार्थी व विप्रार्थी नम्बर 1 से 4 व 5 के सहखातेदार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 198 / 42 रकबा 56 बीघा किस्म बारानी सोयम सरहद मौजा गांव खार की ढाणी पटवार हल्का गोल सोढा भू0 अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र तिलवाडा तहसील पचपदरा मे आई हुई है। वाद ग्रस्ती कुषि भूमि खसरा नम्बर 198 / 42 रकबा 56 बीघा मे वादीगण का 1 / 2 हिस्सा तादादी रकबा 28 बीघा एवं शेष 1 / 2 हिस्सा विप्रार्थी सं. 1 ता 4 व 5 के खातेदार का हैं। मौके पर अलग अलग काबिज काश्त है। मौखिक बंटवाडा अनुरुप मौके पर काबिज रहते हुए काश्त करते है। कभी किसी ने दखलदाजी नही की विपार्थी संख्या 1 ता 4 के हिस्से मे से 01 बीघा विप्रार्थी सं. 5 ग्राम पंचायत गोल स्टेशन के पक्ष मे बक्सीस किया गया। जहा सार्वजनिक टांके निर्मित यानि बनाये हुए है। जो विप्रार्थी से 1 ता 4 उपयोग मे ले रहे है।

अतः सरहद मौजा खार की ढाणी मे खेत खसरा नम्बर 198 / 42 रकबा 56 बीघा मे प्रार्थी 1 / 2 हिस्सा तादादी रकबा 28 बीघा भूमि मे विप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के विरुध्द व प्रार्थी के पक्ष मे इस अमर की अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्रार्थीगण स्वयं उनके मजदूर ऐजेंट प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे व भूमि बैचान अन्य को नही करे।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थना पत्र व दस्तावेज का अवलोकन किया व ध्यान पुर्वक अध्ययन कर मनन किया दोनो पक्ष सह खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही है। राजस्व लोक अदालत की भावना से मजमे आम मे पुछताछ कर चर्चा की गई मजमे आम मे कोई विवाद नही होना बताया गया सह खातेदारी मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्याय संगत प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट भीमरलाई मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
(सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. भीमरलाई

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.)
बालोतरा

Scanned by CamScanner